यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार (आरएएस)

वाद संख्या :– 273/2017 निर्णय दिनांक :– 19.07.2022

उनवान

1. कल्याण पुत्र नैहनू जाति कुम्हार, निवासी ग्राम रूपनगर तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. मुकेश
2. हेमराज
3. छोटू पुत्रान् जगदीश
4. शान्ति वेवा जगदीश
5. ग्यारसी
6. काली
7. नानगी
8. मंगली पुत्रिया जगदीश
9. चोथ्या पुत्र नारायण
10. काना पुत्र नारायण

    समस्त जाति जाति कुम्हार, निवासी ग्राम रूपनगर तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0।

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamScanner

वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टैनेन्सी एक्ट

वादी ने वाद निम्न प्रकार से पेश किया कि कि तहसील कोटखावदा के पटवार क्षेत्र रामनगर, ग्राम रूपनगर में वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी जमीन है। जिसके खाता सं. 25 में खसरा नंबर 02 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 03 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 04 रकबा 0.62 है0, खसरा नंबर 05 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 06 रकबा 0.54 है0, खसरा नंबर 07 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 08 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 09 रकबा 0.41 है०, खसरा नंबर 10 रकबा 0.43 है0, कुल किता 09 कुल रकबा 3.85 है0 स्थित है। जो वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का खाता अभी संयुक्त खाता है पक्षकारों का अलग अलग हिस्सा व लगान कायम नहीं हुआ है। तथा पक्षकारो ने अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने हिस्से कर रखे है। जिसमें वादी का संपूर्ण हिस्सा पृथक से एक तरफ है जिसे वादी ने अपनी पूरी मेहनत व लगन से उपजाऊ बनाया है। वादी एक सीधा साधे भौला भाला किसान है जबकि प्रतिवादीगण काफी तेज है वादी के सादगीपन का नाजायज फायदा उठाते हुए वादी को बाहमी बटवारे के अनुसार आई संपूर्ण हिस्से की भूमि पर बोरिंग, कुआ, सोर ऊर्जा प्लान्ट व पक्का मकान बना रखा है तथा करीब 100–150 पौधे लगा रखे है व अपने हिस्से में एक तरफ आई संपूर्ण भूमि पर गड्डू गाड़ कर तारबंदी कर रखी है से बेदखल करना चाहते है तथा वादी को अपने हिस्से में आये खसरा नंबर के उपयोग उपभोग करने नहीं देते है तथा जोतने में बाधा उत्पन्न करते है तथा आये दिन वादी को हैरान व परेशान करते है तथा फसल बोने देते है और उनको उनके हिस्से की आराजी भूमि से बेदखल करना चाहते है। वादी ने प्रतिवादीगण से हाथ जोड कर निवेदन किया देखो कि मैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:35:43 IST
Reason: SelfAttested

Office\CRT\kalyan vs mukesh .docx

Scanned with CamScanner

काश्त कर अपने परिवार का जीविकापार्जन करता हूं आप आये दिन मुझे परेशान करते हो तथा आपसी झगडे पर उतारू होते हो। यदि तुम्हे किसी प्रकार का संकोच है तो तकासमा करवा लो लेकिन वे इस बात से सहमत नहीं हुऐ। प्रतिवादीगण ने अपने नापाक इरादे को कामयाब करने की गरज से दिनांक 24.10.2017 को वादग्रस्त आराजी में वादी के हिस्से में आई भूमि से काश्त करने से मना कर दिया तथा बेदखल करने पर उतारू है। वादी के मना करने पर व आपस में लोगो के समझाने पर प्रतिवादीगण वहां से चले गये पर जाते ऐलानिया धमकी देकर गये कि चाहे जो करना पडे हम तुम्हे तुम्हारे हिस्से की आराजी भूमि से बेदखल कर देगे। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपने हिस्से की जमीन का तकासमा करवा कर अलग से अपना खाता कायम करवाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये। दिनांक 24.10.2017 को प्रतिवादीगण ने वादी को अपने हिस्से की आराजी भूमि से काश्त करने से मना करने व खरार नहीं करने की धमकी देने से वादकारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादी सं. 11 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है. इनके खिलाफ दावे में कोई रिलिफ नहीं चाही गई है। दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तकासमा का डिक्री किया जाकर वादग्रत आराजी वर्णित खसरा नंबर 02 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 03 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 04 रकबा 0.62 है०, खसरा नंबर 05 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 06 रकबा 0.54 है0, खसरा नंबर 07 रकबा 0.43 है०, खसरा नंबर 08 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 09 एकबा 0.41 है०, खसरा नंबर 10 रकबा 0.48 है0, कुल किता 09 कुल रकबा 3.85 है0 वाके ग्राम रूपनगर, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में से वादी के हिस्से का विधिवत तकासमा किया जाकर वादी का अलग खाता व अलग लगान कायम किया जावें व प्रतिवादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:35:43 IST
Reason: SelfAttested

...आबकारी
...(जयपुर)

Scanned with CamScanner

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वे वादी के आने जाने में मजाहमत पैदा नही करे, ना ही वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित करे, ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट आदि दीगर व्यक्तियों से करवायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गयी वकील वादी ने कथन किया कि जावें, अतः दावा तकासमें का होने से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 29.06.2018 को मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार कोटखावदा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निदेर्शित किया गया कि दोनो पक्षो की मोजूदगी में तकासमा प्रस्ताव बनाकर पेश करे, जिसकी पालना हेतु तहसीलदार चाकसू को पत्र क्रमांक राजस्व/18/5286 दिनांक 29.06.2018 व 639 दिनांक 11.02.2022 के द्वारा लिखा गया, तहसीलदार कोटखावदा ने आदेश की पालना में क्रमांक भू.अ/2022/165 दिनांक 20.01.2022 को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवायी गयी जो शामिल पत्रावली किये जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन वकील वादी को करवाया गया तो वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट सहमति से बनाये गये है जो सही है, उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर करते हुये मुताबिक कुर्रेजात डिक्री किया जाना जाहिर किया।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो कुर्रेजात रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री के अनुरूप बनाये गये हैं। वादी वकील द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी प्रकार से आपत्ति नहीं किये जाने एवं कुर्रेजात राजस्व मंडल के नियमानुसार बनाये जाने से दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:35:43 IST
Reason: Self Attested

ड अधिकारी
सू (जयपुर)

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। नक्शा कुर्रेजात निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेगे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:35:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner